भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2983

05 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

e/; izns'k esa LekVZ 'kgjksa ds fy, èkujkf'k dk vkoaVu

2983- **Jh d`".k iky flag ;kno%**
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k e/; izns'k esa vc rd igys ls चिन्हित fd, x, LekVZ 'kgjksa ds fy, धujkf'k vkoafVr dh xbZ gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(vkSj

¼[k½ D;k ljdkj LekVZ 'kgjksa ds fy, Lohd`r धujkf'k ds mi;ksx dh fuxjkuh dj jgh gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): स्मार्ट सिटी मिशन के विवरण और दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार का पांच वर्षों के लिए 48,000 करोड़ रू. अर्थात् मिशन अवधि के लिए औसतन 500 करोड़ रू. प्रति शहर तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है । राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समान आधार पर समान राशि उपलब्ध करायी जानी है । इनके अतिरिक्त, मिशनों के साथ समाभिरूपता से लगभग 42,028 करोड़ रू. (21%), सार्वजनिक निजी भागीदारी से 41,022 करोड़ रू. (21%), ऋणों से लगभग 9,843 करोड़ रू. (4.8%), अपने संसाधनों से 2,644 करोड़ रू. (1.3%) और अन्य स्रोतो से शेष की आशा की जाती है ।

मध्य प्रदेश राज्य में स्मार्ट शहरों के रूप में विकास के लिए आठ शहरों का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि और मध्य प्रदेश में स्मार्ट शहरों द्वारा उपयोग की गई भारत सरकार की धनराशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रू. में)

राज्य	शहर का नाम	2015-16 के दौरान	2016-17 के दौरान	2017-18 के दौरान	2018-19 के दौरान	2019-20 के दौरान	जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता	भारत सरकार की धनराशि का उपयोग
मध्य प्रदेश	भोपाल	188	8	0	98	196	490	392.00
	इंदौर	188	8	0	0	196	392	293.02
	जबलपुर	2	194	0	0	98	294	294.00
	ग्वालियर	2	92	102	0	0	196	68.21
	सागर	2	0	18	65	0	85	19.36
	सतना	2	0	18	176	0	196	19.11
	उज्जैन	2	92	102	0	106	302	190.13
	राउरकेला	2	0	188	6	0	196	28.71
	कुल	**388**	**394**	**428**	**345**	**596**	**2151**	**1304.54**

18 नवंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार

(ख): स्मार्ट शहर स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन किसी प्रयोजन हेतु तैयार किए गए विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा किया जाता है । विशेष प्रयोजन तंत्र उनके स्मार्ट शहर प्रस्तावों को प्लान, मूल्य निर्धारण, अनुमोदित, कार्यान्वित, प्रबंधित, प्रचालित, मॉनिटर और मूल्यांकित करते हैं । राज्य स्तर पर, मिशन के कार्यान्वयन का समन्वय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर, स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति द्वारा किया जाता है । विशेष प्रयोजन तंत्र के बोर्ड पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामिती निदेशक नियमित रूप से संबंधित स्मार्ट शहरों में प्रगति पर भी निगरानी रखते हैं ।

मंत्रालय, शहरों के निष्पादन के मूल्यांकन और उसमें सुधार के लिए प्रारंभिक सहायता हेतु विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसों, समीक्षा बैठकों, फील्ड दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं इत्यादि के माध्यम से

राज्यों/स्मार्ट शहरों से नियमित रूप से बातचीत करता है । क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भाग ले रहे उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, इस बातचीत के दौरान शहरों को पारस्परिक अनुभवों से सीख से लाभ प्राप्त होता है ।

स्मार्ट शहर ऑनलाइन-प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से एससीएम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन स्तर की सूचना नियमित रूप से देते हैं । इसके अतिरिक्त, सभी स्मार्ट शहरों को निधियों के उपयोग की कड़ी निगरानी के लिए मासिक आधार पर भारत सरकार की निधि के उपयोग स्तर को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है ।